

पत्र संख्या सा०नि०क० 8-0-42189-3135-सा०पु०

बिहार सरकार
साहाय्य एवं पुनर्वासि विभाग

प्रेषक

श्री ए० पी० पूति,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में

समाहर्ता, पटना।नालंदा।भोजपुर।मुजफ्फरपुर।सीतामढ़ी।वैशाली।पूर्वी चम्पारण।प० चम्पारण।दरभंगा।मधुबनी।
समस्तीपुर।बेगूसराय।सहरसा।कटिहार।मधुपुर।पूर्णिमा।जागलपुर।मुंगेर।बगडिमा।साहेबगंज ।

पटना-15, दिनांक 24 जून 1989 ।

विषय—बाढ़ के अतिरिक्त अन्य नाब दुर्घटना तथा बाढ़ के समय दीवार गिरने से मृत्यु के संबंध में
अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हुए कहना है कि बाढ़ के अतिरिक्त अन्य
समय में हुई नाब दुर्घटना तथा दीवार गिरने से हुई मृत्यु के संबंध में कुछ जिलों से सरकारी अनुदेश की
अंग की जाती है कि ऐसे मामलों में मृतकों की आश्रितों को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा की नहीं ।

उपर्युक्त विषयों की सरकार द्वारा समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि बाढ़ के अति-
रिक्त अन्य समय में नाब दुर्घटना तथा दीवार के गिरने से हुई मृत्यु के मामलों में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य
नहीं होगा ।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
ए० पी० पूति,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

शापांक-3135-सा०पु०

दिनांक 24 जून 1989 ।

प्रतिलिपि—सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों, मगध प्रमण्डल उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल एवं दक्षिणी छोटानागपुर
प्रमण्डल को सूचगार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ए० पी० पूति,
सरकार के संयुक्त सचिव ।